संतकबीरनगर पुलिस

जनपद - संतकबीरनगर　　　　प्रेस विज्ञप्ति　　　　दिनॉक 29-03-2021

आज दिनांक 29.03.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के मामले में अंतर्राज्यीय अभियुक्त गिरफ्तार, अपहृता बरामद

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर होने वाले अपराधों के रोकथाम हेतु **पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी मेहदावल **श्री रामप्रकाश** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 30/20 धारा 363/376 भा0द0वि0 व 5 / 6 पाक्सो एक्ट मे वांछित अभियुक्त नाम पता मो0 रियाज पुत्र गुलाम मोहम्मद निवासी लाटेर थाना पोनी जनपद रियासी जम्मू-कश्मीर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 015.03.2020 को वादिनी की पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था, व उसके साथ जबरन दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध मे वादी द्वारा थाना ब्लहरकला पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था, महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया व व्यपहृता नाबालिग किशोरी को सकुशल बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री सदरुल आलमीन, का0 भूपेन्द्र प्रताप सिंह, म0आ0 संध्या सिंह।

संतकबीरनगर पुलिस

<u>पीआरवी आफ द डे</u>

<u>पीआरवी 1490 द्वारा दो पक्षों विवाद को कराया गया शांत व विवाद में घायल को पहुंचाया गया अस्पताल</u>– पीआरवी <u>1490</u> को थाना धनघटा क्षेत्रान्तर्गत बेलौरी से इवेन्ट संख्या 02380 से कालर ने जान से मारने के संबन्ध सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 10 मिनट में पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर विवाद मे घायल व्यक्ति को सीएचसी मलौली भेजवाया गया तथा वादी को विधिक कार्यवाही हेतु थाना धनघटा जाने हेतु बताया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट को शान्त कराकर व घायल को अस्पताल भेजवाकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचा लिया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 सुदामा प्रसाद, मु0आ0 अंशु यादव, म0आ0 ममता यादव, हो0चा0 रामहित प्रजापति।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 68 वाहनो से 51250 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 29.03.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 68 वाहनो से 51250 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।